समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

संयुक्त आदेश

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा–इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राज्य निःशक्तता पेंशन योजना एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सामान्य एवं विशेष घटक के तहत पेंशनधारियों को शिविर के माध्यम से पंचायत/वार्ड स्तर पर पेंशन वितरण का प्रावधान है।

मुख्य सचिव, बिहार पटना का पत्रांक–464 दिनांक 16.03.16 के आलोक में माह–फरवरी– 2016 तक की पेंशन राशि का नगद वितरण सभी प्रखंडो के सभी पंचायतो/वार्डो में दिनांक– 20 मार्च–2016 से 30 मार्च–2016 तक किया जाना हैं।

<u>इसके लिए निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–</u>

1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें की पंचायतों में शिविर का आयोजन यथासंभव सार्वजनिक स्थलों (स्कूल आदि) पर करेंगें। विशेष परिस्थिति में ही, अधोहस्ताक्षरी को वस्तुस्थिति से अवगत कराकर, शिविर का आयोजन अन्यत्र करेंगें। साथ ही शिविर स्थल पर मूलभुत आवश्यक सुविधा भी मुहैया करायेंगे।
2. किसी भी परिस्थिति में पूर्व निर्धारित वितरण तिथि के दिन ही वितरण सुनिश्चित करेंगें।
3. **सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्र सं0–प0नि0 30–68/2016–2012 दिनांक–16.03.2016 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को छोड़कर,** पेंशन वितरण की सम्पूर्ण जानकारी और कार्यक्रम सभी माननीय (विधायक, विधान पार्षद एवं सांसद) को अवश्य दी जाय एवं उन्हें पंचायत में पेंशन वितरण के दिन आमंत्रित किया जाय।
4. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि की ससमय निकासी कर वितरण हेतु सभी वितरण कर्ता (पंचायत सचिव एवं अन्य) को राशि उपलब्ध करायेंगे।
5. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वितरण के पूर्व पंचायतवार या वार्डवार वितरण का रोस्टर बनाकर प्रचार–प्रसार करा देंगे, ताकि पारदर्शी तरीके से सभी लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
6. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित बैंको से सम्पर्क कर आवश्यक राशि निकालना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैंक से बड़े एवं छोटे नोट (500, 100) की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। चुँकि अधिक राशि की निकासी एक ही समय की जानी हैं अतएव राशि के आवागमन हेतु आवश्यक सुरक्षा भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रत्येक कैंप में जनशिकायत का अलग काउंटर भी लगाया जाय। इन काउंटरो पर प्राप्त शिकायतो का निदान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
8. वितरण कर्ता (पंचायत सचिव एवं अन्य) प्रत्येक पेंशनर का माह फरवरी–2016 तक के लिए भुगतेय राशि की गणना कर एक्सल शीट या पंजी में अंकित करेंगे एवं वितरण के पश्चात् उसपर पेंशनर का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान प्राप्त करेंगे। एक्सल शीट या पंजी की छाया प्रति प्रतिदिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे एवं एक प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भेजेंगे।
9. वितरण कार्य में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का हस्ताक्षर **(सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्र सं0–प0नि0 30–68/2016–2012 दिनांक–16.03.2016 के अनुसार)** अलग से पंजी में अंकित किया जायेगा।
10. सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी पेंशन वितरण दिवस को भ्रमणशील रह कर सतत् पर्यवेक्षण एवं पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण सुनिश्चित करेंगे।
11. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मृत एवं फर्जी पेंशनधारी के नाम पर किसी भी स्थिति में पेंशन भुगतान न हो ।
12. पेंशन वितरण शिविर में पेंशनरों के डाटा डिजिटाईजेशन से संबंधित वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु एक अलग से काउन्टर रखा जाय जिस पर वांछित सभी सूचना प्राप्त कर डाटा डिजिटाईजेशन के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण किया जाय।

13. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने पंचायत क्षेत्र से वितरण की अद्यतन स्थिति की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकरी को ससमय देंगे । साथ ही इसकी जानकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण को मेल (addsscmot@gmail.com) पर या फोन (06252–230061, 8521469800) पर भी निश्चित रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।
14. चुँकि पेंशन वितरण शिविर में काफी भीड़ होने की संभावना हैं अतएव विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि शिविर में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए वे अलग से आदेश अपने स्तर से निकालेंगे।
15. पेंशन वितरण शिविर के कार्यक्रम का अनुश्रवण सभी अनुमंडल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
16. शिविर के अंत में अर्थात दिनांक 31.03.16 की शाम को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल (addsscmot@gmail.com) पर भी सम्पूर्ण प्रतिवेदन भेजेंगे।
17. राशि वितरण के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रपत्र III में हर हालत में दिनांक 31.03.16 से पहले सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा किया जायेगा।
18. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी राशि की गणना कर लेंगे एवं राशि कम होने पर अविलम्ब इसकी अधियाचना जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से करेंगे।
19. पेंशन शिविर का रोस्टर, संयुक्त आदेश एवं पेंशनर का डाटाबेस अविलम्ब जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। ताकि पूरी पारदर्शिता लाई जा सके।

ज्ञापांक : 02 / दिनांक :– 18/03/16

प्रतिलिपि :– सभी पंचायत सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य वितरण कर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस ससमय एवं उचित संख्या में पदस्थापित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– L.D.M. पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/16

पुलिस अधीक्षक,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

18/03/16

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या– प0नि0 30–68 / 2016– 2012

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 16 मार्च, 2016

विषयः– **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा अन्य चालू योजना के वितरण एवं निष्पादन के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 438 दिनांक 14.03.2016**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि NSAP के तहत योजनाएँ पूर्ववत् चलते रहेंगे। पत्र में वर्णित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा अन्य चालू योजना के वितरण एवं निष्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पेंशन वितरण समारोह के रूप में नहीं किया जायेगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया जायेगा।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

सचिव।

बिहार सरकार
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

ज्ञापांकः–1 / सा0सु0 IGNWPS –01 / 2011 स0क0– 494 पटना, दिनांक– 17/3/16

प्रतिलिपिः–सभी सहायक निदेशक / प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shashi 17/3/16
सहायक निदेशक